तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 01/2022 अंतर्गत गौवंशीय अधिनियम 1995

(GCMS No. 2022/75)

अनवानः

बलौर सिंह पुत्र श्री मनदर सिंह जाति मजबी सिख उम्र 42 वर्ष निवासी गुरूद्वारा साहिब के पास, मतदादम थाना सरदर, मण्डी डबवाली, जिला सिरसा हरियाणा।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

19.07.2022

अभिभाषकगण उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 30.06.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक श्री मुमताल अली भाटी ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट का वाहन संख्या HR-63B-9551 का रजिस्टर्ड मालिक है। अपीलांट का वाहन पुलिस थाना छापर जिला चूरू द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/21 दिनांक 25.05.2021 अंतर्गत धारा 5, 6, 8, 11 (1) (घ) व 11 (1) (ई) राजस्थान गौवंशीय पशु और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जब्त कर रखा हैं। अपीलांट का वाहन थाना पुलिस छापर जिला चूरू में खड़ा रहने से उसके रंग रोगन, मशीनरी एवं टायर–टयूब खराब होने की संभावना है। अपीलांट ने प्रार्थना पत्र संख्या 17 सन् 2021 अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू के समक्ष पेश किया जो बिना किसी उचित कारण निरस्त कर दिया। अपीलांट का उक्त वाहन ही रोजगार का एकमात्र साधन है। उक्त वाहन से ही अपीलांट के परिवार का भरण पोषण होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जब्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी देने के आदेश पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अभियोजन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने दौराने बहस कथन किया कि जब्तशुदा वाहन अवैध गतिविधियों में काम लेते हुए जब्त किया गया। उक्त वाहन यदि अपीलांट को सुपुर्द कर दिया जाता है तो उसके पुनः दुर्पयोग की संभावना रहेगी। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

B Nirmay 2020

बलौर सिंह

हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 30.06.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अपीलांट का वाहन संख्या HR-63B-9551 पुलिस थाना छापर जिला चूरू द्वारा दिनांक 25.05.2021 से जब्त किया हुआ हैं। अतः उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या HR-63B-9551 अपीलांट को सुपुर्द करना उचित समझते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रति प्रेषित हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर